

न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारी :- यू0डी0 खान  
आई.ए.एस.

प्रथम अपील संख्या 43/2021

महक सिंह पुत्र शिव कुमार यादव, निवासी एस-3,19 आनन्दम कालोनी, हाथोज, कालवाड रोड, जयपुर।

बनाम

लोक सूचना अधिकारी ( अति0 जिला कलक्टर ) झुंझुनू।

— —


सूचना का अधिकार अधिनियम  
के तहत प्रस्तुत प्रथम अपील.

आदेश

दिनांक 24.03.2021

1. पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी ( अपीलार्थी ) द्वारा यह प्रथम अपील प्रार्थना पत्र सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत दिनांक 11.03.2020 को ऑनलाईन दर्ज होकर दिनांक 12.03.2021 को इस न्यायालय में प्राप्त होने पर प्रथम अपील मिसल नम्बर 43/2021 पर दिनांक 12.03.2021 को दर्ज की गई। अपीलार्थी द्वारा उक्त अपील लोक सूचना अधिकारी ( अति0 जिला कलक्टर ) झुंझुनू के विरुद्ध पेश की गई है।
2. अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र लोक सूचना अधिकारी ( अति0 जिला कलक्टर ) झुंझुनू को प्रस्तुत कर आवेदन पत्र में वर्णित सूचना चाही गई।
3. लोक सूचना अधिकारी ( अति0 जिला कलक्टर ) झुंझुनू से इस कार्यालय के पत्रांक पाठक/2020 /954-955 दिनांक 12.03.2021 द्वारा तथ्यात्मक टिप्पणी चाही गयी थी।
4. लोक सूचना अधिकारी ( अति0 जिला कलक्टर ) झुंझुनू ने पत्रांक एफ 16( 4 )( 5 ) न्याय/सू0अ0/20/448 दिनांक 17.03.2021 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलार्थी महक सिंह निवासी एस-3 19 आनन्दम कालोनी, हाथोज, कालवाड रोड, जयपुर का आवेदन पत्र इस कार्यालय में दिनांक 11.03.2021 को आर0टी0आई0 पोर्टल पर प्राप्त हुआ। अपीलार्थी द्वारा चाही गई उक्त सूचना के संबंध में इस कार्यालय के पत्र क्रमांक एफ 16 ( 4 ) ( 5 ) न्याय/सू0अ0/09/52 दिनांक 17.02.2021 द्वारा पाठक अनुभाग को नियमानुसार सूचना 7 दिवस में इस कार्यालय में भिजवाने हेतु पत्र लिखा गया ताकि अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध करवाई जा सके। पाठक अनुभाग ने अपने पत्र क्रमांक पाठक/स20अ0अ0/2021/757-58 के द्वारा अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध करवाते हुए एक प्रति इस कार्यालय में भिजवाई जिसकी सूचना अपीलार्थी को आर0टी0आई0 पोर्टल के क्रमांक 1712450213 दिनांक 23.02.2021 के द्वारा उपलब्ध करवाई जा चुकी है। अतः अपीलार्थी का प्रथम अपील का प्रार्थना पत्र खारीज किये जाने की कृपा करे।
5. अपीलार्थी सुनवाई हेतु उपस्थित नहीं।
6. लोक सूचना अधिकारी ( अति0 जिला कलक्टर ) झुंझुनू द्वारा उनके कार्यालय के पत्रांक एफ 16( 4 )( 5 ) न्याय/सू0अ0/20/448 दिनांक 17.03.2021 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलार्थी महक सिंह निवासी एस-3 19 आनन्दम कालोनी, हाथोज, कालवाड रोड, जयपुर का आवेदन पत्र उनके कार्यालय में दिनांक 11.03.2021 को आर0टी0आई0 पोर्टल पर प्राप्त हुआ। अपीलार्थी द्वारा चाही गई उक्त सूचना के संबंध में उनके कार्यालय के पत्र क्रमांक एफ 16 ( 4 ) ( 5 ) न्याय/सू0अ0/09/52 दिनांक 17.02.2021 द्वारा पाठक अनुभाग



  
जिला कलक्टर झुंझुनू

नियमानुसार सूचना 7 दिवस में उनके कार्यालय में भिजवाने हेतु पत्र लिखा गया ताकि अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध करवाई जा सके। पाठक अनुभाग ने अपने पत्र क्रमांक पाठक/स20अ0अ0/2021/757-58 के द्वारा अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध करवाते हुए एक प्रति उनके कार्यालय में भिजवाई जिसकी सूचना अपीलार्थी को आर0टी0आई पोर्टल के क्रमांक 1712450213 दिनांक 23.02.2021 के द्वारा उपलब्ध करवाई जा चुकी है। अतः अपीलार्थी का अपील प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं होने से खारीज किया जाता है।

7. अपीलार्थी को यह भी सूचित किया जाता है कि आप इसकी द्वितीय अपील माननीय राज्य सूचना आयोग जयपुर के यहां निर्धारित समयावधि में कर सकते हैं।

आदेश आज दिनांक 24.03.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

( यू0डी0 खान ) 24/03/21  
जिला कलक्टर झुंझुनू  
जिला कलक्टर झुंझुनू